

वादी की शरीनाख्त वादी के आर्चीवमा श्री 15 नवम्बर
एचओकेट एव प्रतीवही स. 1 व 2 के आर्चीवमा श्री
कालाला वही एव प्रतीवही स. 4, व 5 की शरीनाख्त
आर्चीवमा श्री अ. मलार डाय की गई। वादी
व प्रतीवही गण 1, 2, व 4 व 5 डाय प्रस्तुत शरीनाख्त
शरीनाख्तनुसार तस्वीर किया जाता है। प्रस्तुत
शरीनाख्त नीचिय का भाग रहेगा। वही
अन्तिम निर्णय (अदिय) पञ्जावली शष्पीय
भोक्त अदालत दिनांक 14-5-2022 को पेश
ही।

उपस्थान अधिकारी
नाखरी (बन्धी)

14-5-2022

पञ्जावली शष्पीय लोक अदालत कैम्प में पेश हुए
प्रस्तुत शरीनाख्त स्वीकार किया जाता है।
शरीनाख्तनुसार प्रतीवही गण स. 1 व 2 तथा
प्रतीवही स. 4 व 5 एव वादी को खिचडित
डुगराजी खसरा स. 186 रुका 0.05 हेक्टर खसरा
स. 187 रुका 1.50 हेक्टर ख. स. 440 रुका
2.36 हेक्टर ख. स. 1185 रुका 0.44 हेक्टर
कुल खसरा खिग-4 योग रुका 4.35 हेक्टर
वाके शाम बावर्ड एव खसरा स. 490 रुका
3.46 हेक्टर वाके शाम चन्द्रगंज तहसील इन्द्रग
जिला बुन्की में स्थित कृषि भूमि में वादी
को हिस्सा 1/3 प्रतीवही स. 1 व 2 को हिस्सा 1/3
तथा प्रतीवही स. 4 व 5 को हिस्सा 1/3 का
स्वातेदार कृषक घोषित किया जाता है उम्तुधार
अन्तिम डिक्री जारी हो। पञ्जावली कैम्पल थुथर
खेकर बाद तस्वील दाखिल करवा ही।

अध्यापक
नवस्य
लोक अदालत
नाखरी

नवस्य
लोक अदालत
नाखरी

उपस्थान अधिकारी
नाखरी (बन्धी)

डिगरी ब मुकदमें इबतदाई
(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत... उपखण्ड अधिकारी

व इजलास... श्री युगानर शर्मा R.A.S.

मुकाम... पारवेरी

1. चन्द्रशेखर मुन्नी सो.एम.भा.प. पालीबनाम 1. प्रखरशर्मा अ. राजेंद्र कुमार जहाँ आदरणीय
गो.श्री.शर्मा जहाँ आदरणीय निवासी
इन्द्रग. लाल पंडा त. व. जिला निवासी आर. के. पुरम कोय
नीमच म.प. - काडी- (2) राजेंद्र कुमार अ. राममरा जहाँ आदरणीय
आर. के. पुरम कोय

मुकदमा नम्बर

दावा बाबत

पारवेरी सं. 14-2

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु

सन

PTO

मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
काडी व पारवेरी सं. 14-2 तथा 4 व 5 काय प्रस्तुत राजेंद्र कुमार व अ. श्री
किया जाता है कि तब आदरणीय खान: 186, 187, 440, 1185 कुल खर्च कि
4 मो.श. रु. 4.35 ई. व. काके शम कावरी इस खर्च न. 490 रु. 3.46 ई. व.
काके शम चन्द्रशर्मा तस्वीर इन्द्रग. जिला सूची से स्थित काडी शर्मा से काडी को हिस्सा
43 पारवेरी सं. 1 व 2 को हिस्सा 43 एवं पारवेरी सं. 4 व 5 को हिस्सा 43 का खर्च
कमक घोषित किया जाता है

निज

मुबलिंग

बाबत

खर्चा इन

मुकदमें के मय सूद बशरह

फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

14-5-2022

सन... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
पारवेरी (बन्दी)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जादावा			1. स्टाम्प अर्जादावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जा		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहोंन		
5. खर्चा गवाहोंन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुकमनामा		
7. बाबत इजराय हुकमनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

पन्ना
वाढ सख
वायनादि

3. राजस्थान सरकार जम तहगीलकर इन्टरगट जिला-पूडी
4. महेन्द्रशर्मा आ. देवकीनन्दन जामरी छाहणन निघाली कमुआ काय
5. मधुकोला पुत्री देवकीनन्दन पाली भरतशर्मा जामरी छाहणन निघाली
श्यातोली तहगील पीपली जिला-कोथ

- जालीगण -

उपलण्ड जाचकारी
बाबरी (पूडी)